विविधा

बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए मिले 45 दिन की छुट्टी

एजेंसी/ प्रतिदिन अखबार
नई दिल्ली, 9 फरवरी- राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने सरकारी और निजी दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 60 साल से ज्यादा उम्र के माता-पिता की देखभाल के लिए 45 दिन की अनिवार्य छुट्टी की मांग की. शून्य काल में बाल्मीकि ने सैंडविच पीढ़ी की मुश्किलों का जिक्र किया और कहा कि ये वे लोग हैं, जो बूढ़े माता-पिता की देखभाल करने और अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को संभालने के बीच फंसे हुए हैं. 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी. जल्द ही हर तीसरा भारतीय एक बुजुर्ग व्यक्ति होगा.

नहर में डूबी कार, तीन की मौत

एजेंसी/ प्रतिदिन अखबार
नर्मदापुरम,9 फरवरी- मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इटारसी पथरोटा मार्ग पर एक कार शुक्रवार देर रात अनियंत्रित होकर बड़ी नहर के पानी में जा गिरी, तेज बहाव में कार डूब गई. मौके पर जुटी भीड़ वीडियो बनाती रही, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया पानी में डूबी कार में सवार युवकों ने अंदर से आवाजें लगाईं, दरवाजा पीटते रहे.एक युवक ने बचने की कोशिश भी की. लेकिन वे बचने में सफल नहीं हो सके. आपदा दलों ने कार को बाहर निकाला, तब तक युवकों की मौत हो चुकी थी.

यूनिवर्सिटी में चाकूबाजी एक भारतीय छात्र समेत 8 घायल

एजेंसी/ प्रतिदिन अखबार
मास्को, 9 फरवरी- रूस के बश्किरोस्तान गणराज्य में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में शनिवार को हुई चाकूबाजी में एक भारतीय समेत छह छात्र और दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए. विदेशी छात्रों के हॉस्टल के स्पोर्ट्स हॉल में 15 वर्षीय किशोर ने 6 छात्रों पर चाकू से हमला करते हुए दहशत फैला दी. हमलावर को गिरफ़्तार करने के दौरान चाकू के वार से दो पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए. आरोपी ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए खुद को भी चाकू से घायल कर दिया, इससे चारों तरफ खून ही खून फैल गया.

97 साल के बुजुर्ग को शादी की मंजूरी

एजेन्सी/प्रतिदिन अखबार
सिंगापुर, 9 फरवरी - सिंगापुर के एक 97 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी मित्र से शादी करने के लिए अपने ही बेटे के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली है. दरअसल, जब बुजुर्ग ने शादी करने का फैसला किया, तो उनके बेटे ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी. बेटे का दावा था कि उसके पिता को भूलने की बीमारी है और वे फैसला लेने के काबिल नहीं हैं. अदालत ने मेडिकल जांच और सबूतों के आधार पर पाया कि बुजुर्ग पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं.

चेन्नई में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़

एजेंसी/ प्रतिदिन अखबार
चेन्नई,9 फरवरी- चेन्नई पुलिस और एंटी- नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने एक संयुक्त ने अभियान चलाकर एक बड़े ड्रग नेटवर्क का पदार्फाश किया है, इस मामले में एक सहायक अभिनेत्री समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

भागवत और अदनान सामी की मुलाकात

सियासी घमासान : कांग्रेस ने आरएसएस की देशभक्ति पर उठाए सवाल

बोलती खबरें
खबरें सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें.

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार
मुंबई, 9 फरवरी- महाराष्ट्र कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है.कांग्रेस ने भागवत के गायक अदनान सामी के साथ खाना खाने को देश-विरोधी कदम बताया है.वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत से मुलाकात के बाद अदनान सामी ने उनकी जमकर तारीफ की.

कांग्रेस ने लगाए आरोप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस ने कहा, अदनान सामी के पिता अरशद सामी खान पाकिस्तान वायुसेना में पायलट थे.उन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था और पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था.कांग्रेस ने कहा, मोहन भागवत आज उन्हीं के बेटे के साथ खाना खा रहे हैं.पार्टी ने इसे आरएसएस का देश-विरोधी बताया. यह मुलाकात मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान हुई. अदनान सामी उन हस्तियों में शामिल थे, जिन्हें इस दो दिवसीय कार्यक्रम में बुलाया गया था.कांग्रेस ने इस पूरी घटना को लेकर आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए हैं. पार्टी का कहना है कि एक तरफ आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करता है और दूसरी तरफ ऐसे लोगों से मेल-जोल बढ़ा रहा है जिनके परिवार का इतिहास भारत विरोधी रहा है.

अदनान ने आरएसएस प्रमुख की तारीफ की

दूसरी तरफ, पद्म श्री विजेता अदनान सामी ने रविवार को मोहन भागवत के साथ अपनी तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने आरएसएस प्रमुख की जमकर तारीफ की. सामी ने लिखा कि भागवत के साथ दोपहर बिताना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा. उन्होंने कहा कि भागवत को सुनने के बाद उनके मन की कई गलतफहमियां और भ्रम दूर हो गए. सामी ने मोहन भागवत को एक बहुत ही नेक और शानदार इंसान बताया.

भारत माता से नहीं शुरू होता संविधान

ओवैसी ने देशभक्ति को धर्म से जोड़ने पर कही यह बात

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार
हैदराबाद, 9 फरवरी- भारत के संविधान और राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने इस मुद्दे को नए सिरे से चर्चा के केंद्र में ला दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की शुरुआत 'वी द पीपल' यानी जनता से शुरू होता है, न कि भारत माता के नाम से.

ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता देता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान का आधार समावेशी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर टिका है. उन्होंने याद दिलाया कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात कही गई है.उनके अनुसार देशभक्ति को किसी एक धार्मिक पहचान से जोड़ना संविधान की भावना के खिलाफ है.

देशभक्ति और धर्म को जोड़ने पर आपत्ति

ओवैसी ने कहा कि अगर देशभक्ति को किसी एक धर्म से जोड़ा जाएगा तो यह आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कई नेताओं के योगदान को कमजोर करेगा.उन्होंने बहादुर शाह जफर और यूसुफ मेहरअली का उदाहरण देते हुए कहा कि इन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया.उनके मुताबिक राष्ट्र प्रेम को धार्मिक पहचान से जोड़ना स्वीकार नहीं किया जा सकता.

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की बहस का जिक्र

ओवैसी ने अपने भाषण में संसद में हुई वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई बहस का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि 24 जनवरी 1950 को देश ने खुद को संविधान दिया और उसकी शुरुआत वी द पीपल से होती है.उन्होंने कहा कि संविधान किसी खास धार्मिक प्रतीक का नाम लेकर शुरू नहीं होता, बल्कि जनता को सर्वोच्च मानता है.

विधान परिषद में भी बढ़ेगा बीजेपी का प्रभाव

उद्धव सहित 9 सदस्यों का खत्म हो रहा है कार्यकाल

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार
मुंबई, 9 फरवरी- महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटें मई महीने में खाली होने जा रही हैं. इनमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं, जिनका विधान परिषद सदस्य के रूप में कार्यकाल 13 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे और क्या वे इस बार जीत पाएंगे. राज्य में महाविकास आघाड़ी (मविआ) की सरकार के समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे.

हालांकि उस समय वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था. उस वक्त उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना सहित मविआ के घटक दलों के पास पर्याप्त संख्या बल था, जिससे उन्हें चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई. लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित पूरे विपक्षी गठबंधन को संख्या बल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. कोई भी विपक्षी दल अपने दम पर राज्यसभा या विधान परिषद में उम्मीदवार नहीं भेज सकता.

राज्यसभा चुनाव से बदलेंगे समीकरण

विधान परिषद चुनाव से पहले राज्यसभा की सात सीटों के लिए चुनाव होने हैं. जानकारों का मानना है कि इन चुनावों के नतीजों से विधान परिषद का समीकरण भी प्रभावित होगा. यदि राज्यसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) राकां (एसपी) के वरिष्ठ नेता शरद पवार को समर्थन देकर उन्हें राज्यसभा भेजती है, तो ही वह विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस और राकां से उद्धव के लिए समर्थन मांग पाएगी. यदि तीनों दल एकजुट नहीं होते हैं, तो इसका सीधा लाभ सत्तारूढ़ महायुति को मिलेगा.

मविआ के केवल एक-एक उम्मीदवार जीतने की संभावना

राज्य में बीजेपी के 131, शिवसेना (शिंदे गुट) के 57 और राकां (अजीत पवार) के 40 विधायक हैं. इसके अलावा छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर सत्तारूढ़ महायुति के पास लगभग 235 विधायकों का समर्थन है. दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) के 20, कांग्रेस के 16 और राकां (एसपी) के 10 विधायकों के साथ सपा और एमआईएम को मिलाकर विपक्ष की कुल संख्या करीब 50 के आसपास पहुंचती है.

ऐसे में विधानसभा में उपलब्ध विधायकों की संख्या के आधार पर विपक्षी दल यदि एकजुट होते हैं, तभी उनका एक-एक सदस्य राज्यसभा और विधान परिषद में चुना जा सकता है. यानी राज्यसभा में महायुति के छह और विधान परिषद में आठ सदस्यों का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है. वहीं मविआ का एक-एक उम्मीदवार तभी जीत सकता है, जब शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और राकां (एसपी) में सहमति बने.'

अरुणाचल में आठ ठिकानों पर ईडी के छापे

ईटानगर,एजेंसी/प्रतिदिन अखबार,9 फरवरी- अरुणाचल राजमार्ग मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरुणाचल प्रदेश में आठ जगहों पर छापे मारे. इस दौरान लगभग 2.2 करोड़ रुपये नकद जब्त किए. ईडी अधिकारियों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईटानगर में छह परिसरों और लिकाबली (लोअर सियांग जिला) और आलो (प.सियांग जिला) में एक-एक परिसर पर छापेमारी की गई, इनमें जिला भूमि राजस्व एवं निपटान विभाग के उपायुक्त, मूल्यांकन अधिकारियों के कार्यालय और विचौलियों के परिसर शामिल हैं. मुआवजा घोटाला मामला भूमि अधिग्रहण मुआवजे के आकलन, प्रमाणीकरण और वितरण में अनियमितताओं में लोक सेवक और निजी लाभार्थी शामिल हैं.जांच में पता चला कि उपायुक्त ने शुरू में 289.40 करोड़ के मुआवजे का अनुमान तैयार किया था. राज्यस्तरीय बैठक में मुआवजे के पैकेज को 198.56 करोड़ तक सीमित कर दिया गया. ईडी के अनुसार कई चेक फर्जी लाभार्थियों को जारी किए गए, सरकारी खजाने को 44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

तुर्की में भी बच्चों के सोशल मीडिया बैन की तैयारी

एजेंसी/ प्रतिदिन अखबार
अंकारा,9 फरवरी- दुनिया भर में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बढती चिंता के बीच तुर्की भी सख्त कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. तुर्की की संसद की एक रिपोर्ट में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, उम्र सत्यापन और कंटेंट फिल्टरिंग जैसे व्यापक उपायों की सिफारिश की गई है.तुर्की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है. कानून का मसौदा संसद में जल्द पेश हो सकता है. एआई गेम्स पर निगरानी की भी तैयारी है.

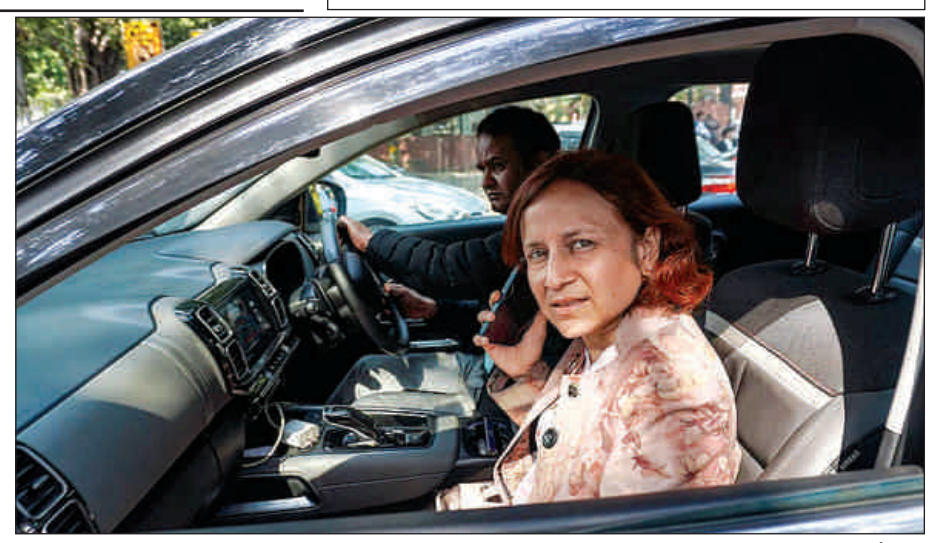

नई दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी, गीतांजलि जे. आंगमो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान.

फोर्ब्स सूची: महिलाओं के पास ताकत

वित्त मंत्री निर्मला दुनिया की 24वीं शक्तिशाली महिला

एजेन्सी/प्रतिदिन अखबार
न्यूयॉर्क, 9 फरवरी - दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24वें स्थान पर हैं. वहीं, इस वैश्विक सूची में पहले स्थान पर यूरोप की उर्सुला वॉन डेर लेयन काबिज हैं .

भारतीय वित्त मंत्री लगातार अपनी आर्थिक नीतियों से दुनिया को प्रभावित कर रही हैं. भारत की रोशनी नाडर मल्होत्रा ने 76वें और बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार-शॉ ने 83वें स्थान पर कब्जा जमाते हुए टॉप 100 में जगह बनाई है. यह सूची वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और तकनीक में महिलाओं के बढ़ते दखल को दर्शाती है. जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीसरे स्थान पर रही हैं.

सबसे ताकतवर महिलाएं

रैंक	नाम	पद	देश
1	उर्सुला वॉन डेर लेयन	अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग	बेल्जियम
2	क्रिस्टीना लेगार्ड	अध्यक्ष, यूसीबी	जर्मनी
3	सानाए ताकाइची	प्रधानमंत्री	जापान
4	जॉर्जिया मेलोनी	प्रधानमंत्री	इटली
5	क्लॉडिया शीनबाम	राष्ट्रपति	मैक्सिको
24	निर्मला सीतारमण	वित्त मंत्री	भारत

रैंकिंग के चार पैमाने

फोर्ब्स ने 22वीं वार्षिक रैंकिंग को चार प्रमुख कारकों - धन, मीडिया में उपस्थिति प्रभाव और असर के दायरे के आधार पर तैयार किया है. राजनीतिक नेताओं का मूल्यांकन उनके देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार के आधार पर किया गया. कॉर्पोरेट जगत के नेताओं का आकलन कंपनी के राजस्व, मूल्यांकन के आधार पर किया गया.अंतिम सूची में 100 महिलाएं हैं. ये सभी दुनिया की लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक शक्ति संभालती हैं.

छात्र ने शिक्षिका को थप्पड़ जड़ा

एजेन्सी, प्रतिदिन अखबार
पंचमहल (गुजरात), 8 फरवरी - देरी से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षिका का टोकना 12वीं के एक छात्र को इतना अखरा कि उसने शिक्षिका को थप्पड़ जड़ दिया. यही नहीं, बाद में उसने अपने पिता और अन्य लोगों के साथ मिलकर स्कूल में ही शिक्षिका को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी.

किसानों की इस स्कीम में सबसे कम खर्च

बड़ी योजनाओं पर 9 महीने में नहीं खर्च हो पाया आधा भी बजट

एजेन्सी, प्रतिदिन अखबार
नई दिल्ली, 9 फरवरी - केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और उनके बजट आवंटन को लेकर एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया है. चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियां बीतने के बाद भी सरकार 53 प्रमुख योजनाओं पर बजट का आधा हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाई है. आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 31 दिसंबर तक इन योजनाओं के लिए आवंटित कुल राशि का मात्र 41.2 प्रतिशत ही जारी किया जा सका है.

वित्त वर्ष 2025-26 के शुरूआती बजट अनुमान में इन 53 योजनाओं के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया था. वैसे, खर्च की धीमी गति को देखते हुए सरकार ने संशोधित अनुमान में इसे घटाकर 3.8 लाख करोड़ रुपये कर दिया. यह कटौती दशार्ती है कि कई विभाग आवंटित राशि का उपयोग करने में विफल रहे हैं. स्थिति यह है कि 47 योजनाओं के फंड में सरकार ने भारी कटौती की है.सबसे बुरा असर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर पड़ा है, जहां 850 करोड़ रुपये के बजट को घटाकर मात्र 150 करोड़ रुपये कर दिया गया. इसके अलावा जल जीवन मिशन, पीएम ई-बस सेवा और पीएमएवाई (शहरी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अब तक उनके कुल बजट का 10 प्रतिशत फंड भी नसीब नहीं हुआ है.

सौ रुपये की गेहूं चोरी में 45 साल बाद गिरफ्तार

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार
खरगोन, 9 फरवरी- मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के एक बुजुर्ग व्यक्ति को 45 साल पहले दर्ज गेहूं चोरी के एक मामले गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी.मंडलेश्वर की अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्वेता शुक्ला ने रविवार को बताया कि सलीम और छह अन्य ने 1980 में बालसमुंद के काकड़ इलाके में खेतों से गेहूं चुराया था. उन्होंने कहा कि उस समय सलीम 20 साल का था.अधिकारी ने बताया कि चोरी किए गए गेहूं की कीमत 100 रुपये थी. अधिकारी ने बताया कि चोरी किए गए गेहूं की कीमत 100 रुपये थी और उस समय एक क्विंटल (100 किलोग्राम) अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत 1.15 रुपये प्रति किलो थी.

चला रहा था किराने की दुकान

एसडीओपी ने बताया कि बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के बलखड गांव का रहने वाला सलीम चोरी के बाद भाग गया और पड़ोसी धार जिले के बाग कस्बे में अपने बेटे के साथ किराने की दुकान चलाने लगा. यह मामला अदालतों में लंबित रहा जबकि सलीम के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था.एक अन्य आरोपी की तलाशी के दौरान पुलिस को पता चला कि सलीम किराने की दुकान के जरिये जीवन यापन चला रहा है.इसके बाद कार्रवाई की गई.

सहमति से संबंध को उम्र सीमा घटाने पर विचार नहीं : केंद्र

महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोस में रखा सरकार का पक्ष

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार
नई दिल्ली, 9 फरवरी- केंद्र पोक्सो कानून में यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र 18 वर्ष से कम करने की पक्षधर नहीं है. केंद्र का कहना है कि सहमति की उम्र में किसी भी प्रकार की ढील या अपवादों का समावेश बाल सुरक्षा को कमजोर करेगा, शोषण के जोखिम को बढ़ाएगा और किशोरियों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करेगा.

केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से लोकसभा सदस्य सुब्बारायमण के. और सेल्वाराज वी. ने सवाल किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोक्सो कानून के बार-बार दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए किशोर वय के वास्तविक संबंधों के मामले में रोमियो जूलिएट क्लाज पर विचार करने और पोक्सो कानून के कठोर प्रविधानों से छूट देने के सुझाव का जिक्र करते हुए इस बारे में स्थिति और ब्यौरा पूछा था.

इसके जवाब में अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि पोक्सो अधिनियम में सहमति शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और वैधानिक ढांचे के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना अपराध माना जाता है, चाहे सहमति दी गई हो या नहीं. पोक्सो नियम 2020 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और बाल हितैषी

प्रक्रियाओं और संस्थागत सुरक्षा उपायों के माध्यम से बच्चों को यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा से बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया था.

सरकार ने कहा कि सहमति की आयु 18 वर्ष बनाए रखने का विधायी निर्णय सोच-समझकर लिया गया नीतिगत निर्णय है. कानूनी ढांचे में स्थिरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में वयस्कता की आयु समान रूप से 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और हिंदू माइनारिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 शामिल हैं. इन अधिनियमों के पीछे विधायी आशय यह दशार्ता है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति सहमति देने या ऐसे निर्णय लेने में सक्षम नहीं माने जाते, जिनके दीर्घकालिक परिणामों को वे पूरी तरह से समझ नहीं सकते. केंद्र ने कहा है कि सहमति की आयु 18 वर्ष निर्धारित करने वाले कानूनों में एकरूपता का उद्देश्य नाबालिगों के साथ छेड़छाड़, जबरदस्ती और शोषण को रोकना है, यह माना जाता है कि यौन गतिविधियों से संबंधित मामलों में सार्थक और सूचित सहमति देने के लिए बच्चों में कानूनी और मनोवैज्ञानिक क्षमता की कमी होती है.